

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन रांगण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 1350 /FP/UK/OTHERS/33662/2018 दिनांक: देहरादून ८। - १२ जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाश रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत नगर पंचायत बनबसा एंव नगर पालिका परिषद, टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 हेक्टेयर भूमि लीज पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.पी.सी./09/112/2021/एफ0सी0/1095 दिनांक 29-11-2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 29.11.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 101/12-1 दिनांक 18.07.2022 एवं 725/12-1 दिनांक 05.11.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :—

क्रमांक	EDS	निस्तारण
1	On perusal of the proposal it is not clear that whether this project attracts provisions of EIA 2006. It is mentioned in Part I at para H that no EC is required but projects like these related to 'solid waste management' considered as category B projects under EIA 2006 notification and require EC, prior to construction. Therefore, the State Govt is requested to make the necessary corrections and submit the comments in this regard.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस परियोजना के लिये EIA 2006 के प्रावधान के अनुसार Environment Clearance प्राप्त किया जाना है। उक्त भूमि के नगर पंचायत बनबसा के नाम पर हस्तांतरित किये जाने के पश्चात ही Environment Clearance की कार्यावाही की जायेगी।
2	It is provided that the proposed site is 10 Km from the nearest protected area (Nandhaur WLS) therefore in view of guideline dt. 16/07/2020, prior to approval of SC-NBWL is also required. Accordingly the correction needed to be made at para I in Part I online.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण वन भवन, 85/87 राजपुर रोड, देहरादून के File No.-3201-2D/1/2020-FOREST DEPT. दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल की नंदौर वन्य जीव अभ्यारण से निकटतम हवाई दूरी 10.8 किमी0 है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-01)
3	There must be some standard or technical ground to determine the minimum area requirement for disposal of waste. The State Govt. is requested to submit the information/document in this regard.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि EveryULB Technology के माध्यम से प्रस्तावित कार्य की DPR बनायी गयी है। DPR के अनुसार बनबसा-टनकपुर वलस्टर हेतु नगर पालिका परिषद टनकपुर तथा नगर पंचायत बनबसा के समस्त कूड़े के निस्तारण हेतु न्यूनतम वन भूमि की मांग की जा रही है, जिसका उल्लेख DPR में भी किया गया है। अतः 0.8 हेक्टेयर भूमि की मांग न्यूनतम है। इससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-02)

	Though it has been mentioned by the project proponent that there is no other alternative for the proposed work but no details of alternative worked out in private as well as in other Govt. land other than forest land is provided. In view of para 1.15 of the guidelines, the State Govt. is required to provide the information regarding the alternative explored because RF area has been taken for the activity.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्ररताव के प्रपत्र संख्या-10, पृष्ठ संख्या-21 में वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण एवं वनभूमि की मॉग न्यूनतम होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चम्पावत के भी हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5	The area proposed for diversion shows movement of schedule-I wildlife species. Therefore it is requested to submit the comments of CWLW in this regard providing whether there will be any adverse impact of the proposed work on the wildlife of the area of mitigative measures, if any required will be taken into consideration.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-16/12-1 दि0-02.07.2022 के द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र क्तिपय शर्तों के साथ निर्गत किया गया है। (संलग्नक-4) अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत बनबसा (चम्पावत) के पत्रांक-294(I)/ठो0अप0प्रव0/2022-23 दि0-07.07.2022 के द्वारा शर्तों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में सहमति युक्त की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)
6	Plantation scheme of 1600 trees by way of CA is required to be submitted by the State Govt.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के उक्त सन्दर्भित द्वारा 1600 पौधों के रोपण हेतु योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-6)

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(ए०क० गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 1350 / FP/UK/OTHERS/33662/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 101/12-1 दिनांक 18.07.2022 एवं 725/12-1 दिनांक 05.11.2022 के कम में।
- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(ए०क० गुप्ता)
वन संरक्षक

५
८